पत्रावली पेश। वादी अभिभाषक उप0। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 तथा प्रतिवादी संख्या 7 के अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक संख्या 7 की ओर से अभिभाषक श्री अजीत सिंह ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अभिभाषक को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के नोटिस तामील नही होने के कारण प्रति0 संख्या 8 व 9 की तलबी हेतु नोटिस पेश किये जाने हेतु आदेशिका दिनांक 10.04.2017 को आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी अभिभाषक के द्वारा उक्त प्रतिवादी की तलबी न्यायालय के समक्ष आज दिनांक प्रस्तुत नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत खारिज फरमया जावे।

हमने प्रतिवादी अभिभाषक सं0 7 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया वाद पत्र व आदेशिका का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 10.04.2017 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के नोटिस तलवाना प्रस्तुत किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था। तदउपरान्त दिनांक 14.11.2017 को वादी/अभिभाषक उपस्थित नही आये है, ना ही उनके द्वारा 9 माह के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की तलबी पेश की है ना ही प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी/अभिभाषक अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत अदम पालना मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल हो।

सहायक कलक्टर मु0
अजमेर